

Handwritten signature and date: 28/6

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/बी-15-13/2010/14-2/
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25 जून 2010

1. संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- खरीफ वर्ष 2010 हेतु अरहर बीज के उर्पाजन एवं विक्रय दर निर्धारण
बावत्।

सन्दर्भ:- 1. इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 25.06.2010
अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 17.06.
2010 को संपन्न हुई बीज विक्रय दर निर्धारण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय
अनुसार राज्य शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2010 हेतु अरहर प्रमाणित बीज की निम्नानुसार
उर्पाजन एवं विक्रय दरें निर्धारित की जाती हैं।

राशि रू. प्रति क्विंटल

क्रमांक	फसल का नाम	कृषकों के लिये उर्पाजन दर	कृषकों के लिये उत्पादन अनुदान	निगम की सकल विक्रय दर	बीज वितरण अनुदान की दर	कृषकों के लिये विक्रय दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरहर	4600	750	4600	1200	3400

- कालम क्रमांक 3 में दर्शाई गई कृषकों के लिये निर्धारित उर्पाजन दर में शासन द्वारा देय उत्पादन अनुदान को शामिल किया गया है। अतः जिले के उप संचालक कृषि द्वारा उत्पादन अनुदान का भुगतान संस्थाओं को किया जायेगा।
- कालम क्रमांक 5 में सकल विक्रय दर दर्शाई गई है अनुदान की दर को घटाने के पश्चात कृषकों के लिये निर्धारित विक्रय दर कालम क्रमांक 7 में दर्शायी गई है। कालम क्रमांक 5 के अनुसार बीज वितरण अनुदान का भुगतान संबंधित अंतिम वितरणकर्ता संस्था द्वारा जिले के उप संचालक कृषि से प्राप्त करके किया जायेगा। अतः सहकारी समितियों को प्रदाय किये गये बीज की कीमत कालम क्रमांक-5 में दर्शायी गई दर के आधार पर संस्था द्वारा लिया जायेगा।
- संस्था द्वारा स्वयं के केन्द्रों से कृषकों को विक्रय किये जाने वाले बीज की विक्रय दर कालम क्रमांक-7 के अनुसार ली जायेगी एवं कृषकों को दिया जाने वाला अनुदान की प्रतिपूर्ति के लिये देयक उप संचालक कृषि को प्रस्तुत कर अनुदान की राशि प्राप्त करेंगे।

L


टीप:-

1. भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2010 में उपलब्ध होने वाली अनुदान की राशि को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया कि अरहर बीज पर रू. 1000/- प्रति क्विंटल बीज उत्पादन अनुदान(रूपये 750/- बीज उत्पादक कृषक एवं रू. 250/- संसथ कों) प्राप्त होगा। अरहर बीज पर रू. 1200 प्रति क्विंटल की दर से वितरण अनुदान देय होगा। संस्था द्वारा बीज उत्पादन अनुदान का भुगतान बीज उत्पादक कृषक को बीज की उर्पाजन दर में शामिल किया जायेगा। बीज उत्पादन अनुदान का भुगतान जिला स्तर पर उप संचालक कृषि द्वारा अनुमोदित संस्था को यथा शीघ्र करेंगे ताकि बीज उत्पादक कृषक को संस्था द्वारा शीघ्र भुगतान किया जा सके।
2. संस्था द्वारा बीज उत्पादन एवं वितरण किये जाने वाले बीजों का प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिये अधिकतम 67 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये न्यूनतम 17 प्रति अनुसूचित जनजाति के लिये 16 प्रतिशत के अनुसार बीज उत्पादन/विक्रय किया जाना सुनिश्चित करना होगा। जिला स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाये कि देय अनुदान की राशि जिले के अनुमोदित प्लान सीलिंग के अंतर्गत ही मदवार (सामान्य/अनु. जाति/अनु.जनजाति) हो।
3. अनुदान का लाभ समस्त कृषकों को प्राप्त हो इस उद्देश्य से निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-
 - 3.1. संस्थाओं के पास प्रमाणित बीज का वितरण न्यूनतम 70 प्रतिशत कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किया जायेगा तथ अधिकतम 30 प्रतिशत बीज संस्थायें नगद में विक्रय कर सकेंगी। राष्ट्रीय बीज निगम, स्टेट फार्म कारपोशन एवं अन्य निगम/ संस्थाओं से विभाग द्वारा प्राप्त किये गये बीजों पर नियमानुसार अनुदान दिया जायेगा।
 - 3.2. नगद बीज प्रदाय की मात्रा का इन्द्राज कृषक की बही/ऋण पुस्तिका में करना अनिवार्य होगा।
 - 3.3. कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा वितरित बीज के लिये वितरण अनुदान सीधे उप संचालक कृषि द्वारा उन्हें प्रदाय किये जायेगा। उत्पादन अनुदान बीज उत्पादक संस्थाओं को जिले के उप संचालक कृषि द्वारा देय होगा।
 - 3.4. बीज वितरण करने वाली संस्थाओं को अनुदान का भुगतान प्राप्त करने के लिये कृषकों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संधारित करनी होगी और इसी प्रारूप के आधार पर जिले के उप संचालक कृषि द्वारा अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
 - 3.5. कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा बीजों का वितरण निर्धारित मानकों के अनुसार सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति के वर्गों को किया जाना होगा, तथा उसी के अनुसार विभाग द्वारा बीज वितरण अनुदान की राशि कृषि साख सहकारी समितियों को मदवार उपलब्ध कराई जायेगी।

3.6. सोपा एवं अन्य अनुमोदित संस्थाओं तथा डी.पी.आई.पी. द्वारा गठित बीज उत्पादक कम्पनियों द्वारा वितरण किये जाने वाले बीजों पर भी उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही अनुदान दिया जायेगा।

4. कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा बीज उठाते समय बीज उत्पादक संस्था के केन्द्र अथवा विपणन संघ के डबल लॉक केन्द्र को रिस्लीज आर्डर एवं उसके साथ बीज मात्रा की राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट (कमीशन की राशि को घटाने के पश्चात) संलग्न कर देना होगा।

5. कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा उठाई जाने वाली (संस्था के केन्द्र अथवा विपणन संघ के डबल लॉक) बीज मात्रा का शत प्रतिशत विक्रय करना हो। सहकारी समितियों को पूर्व में सविकृत कमीशन रु. 110/- यथावत रहेगा। बीज निगम के अधिकृत बीज विक्रेताओं एवं अन्य बाहरी संस्थाओं को बीज प्रदाय प्रतिबंधित रहेगा।



(विजय पंडित) 25/6/10
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

कमांक/बी-15-13/2010/14-2/
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 25 जून 2010

1. आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थायें, म0प्र0 भोपाल।
2. संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, म0प्र0 भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, एम.पी.एग्रो/बीज प्रमाणीकरण संस्था।
4. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (समस्त)
5. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म0प्र0 भोपाल।
6. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल।


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन 25/6/10

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग